संख्या: 5/ 2020/ 139 /सत्रह--म-2020-6-9(258)/2017

प्रेषक,

एस0एम0ए0 रिजवी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक मत्स्य,
उ0प्र0 लखनऊ।

मत्स्य उत्पादन अनुभाग लखनऊ: दिनांक: 03 फरवरी,2020

विषय: वित्तीय वर्ष 2019-20 के अन्तर्गत अनुदान संख्या-17 लेखाशीर्षक 2405- मछली पालन- 800-अन्य व्यय, 03- अनुसंधान सामान्य,01- वेतन मद से 05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय, 49- चिकित्सा व्यय में पुनर्विनियोग की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या- 57/ ले0शा0/ पुनर्विनियोग/2019-20 दिनांक 13.01.2020 तथा उसके साथ उपलब्ध कराये गये बी0एम0-9 (भाग-1) का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से अनुदान संख्या-17 लेखाशीर्षक 2405- मछली पालन- 800-अन्य व्यय-03- अनुसंधान सामान्य 01- वेतन मद से 05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय में रू0 10.00 लाख 46- कम्प्यूटर हार्डवेयर रू0 5.00 लाख एवं 49- चिकित्सा व्यय में रू0 30.00 लाख अर्थात कुल धनराशि रू0 45.00 लाख (रू0 पैतालीस लाख मात्र) के पुनिर्विनियोग का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय अनुदान संख्या-17 लेखाशीर्षक 2405- मछली पालन- 800-अन्य व्यय-03- अनुसंधान सामान्य की मानक मद 01-वेतन मद में हो रही बचतों से 05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय में रू0 10.00 लाख एवं 49- चिकित्सा व्यय में रू0 30.00 लाख अर्थात कुल धनराशि रू0 40.00 लाख (रू0 चालीस लाख मात्र) की धनराशि को पुनिर्विनियोग के माध्यम से संलग्न बी0एम0-9 (भाग-1) प्रपत्रानुसार निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आहरित कर व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाईनिन्शयल हैण्ड बुक के नियमों तथा अन्य स्थाई आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार व केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्रदान की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय किये जाने से पूर्व ऐसी स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय।

(2) शासकीय व्यय के सम्बंध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन किया जायेगा।

(3) उक्तानुसार विभिन्न मानक मदों में संलग्न बी0एम0-9 प्रपत्रानुसार कुल धनराशि रू0 40.00 लाख (रू0 चालीस लाख मात्र) के पुनर्विनियोग की स्वीकृति इस शर्त के अधीन प्रदान की जा रही है कि बचतों की जिन मानक मदों से पुनर्विनियोग किया जा रहा है,उन मदों में धनराशि की कोई मांग नही की जायेगी।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.com

(4) उक्त धनराशि के आहरण एवं व्यय में अन्य सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन निदेशक मत्स्य व सम्बंधित अधिकारी द्वारा किया जायेगा।

3- उक्त धनराशि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या-17 लेखाशीर्षक 2405-मछली पालन-800-अन्य व्यय- 03-अनुसंधान सामान्य की मानक मद 01-वेतन मद में हो रही बचतों से मानक मद 05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय एवं 49- चिकित्सा व्यय मद के नामें डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के पुनर्विनियोग के संलग्न आदेश संख्या-आर0ई0-322 /ई-1-दस-2020 दिनांक 27 जनवरी,2020 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

**संलग्नक-प्रपत्र बी0एम0-9 भाग-1**

भवदीय

(एस0 एम0 ए0 रिजवी)
विशेष सचिव।

**संख्या- 5 /2020/ 139 (1) /सत्रह-म-2020 तददिनांक**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।
2- वित्त एवं लेखाधिकारी, मत्स्य निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।
4- सम्बधित कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5- वित्त (व्यय-नियत्रंण) अनुभाग-1 (बी0एम0-9) की दो प्रतियों में) /वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 /नियोजन अनुभाग-3।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कृपा शंकर यादव)
अनुसचिव।

http:// shasanadesh up nic.com

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

फार्म-बी0एम0-9 (भाग-1)

पुनर्विनियोग की स्वीकृति के लिए आवेदन

(संदर्भ बजट मैनुअल का प्रस्ताव158 देखें)

अनुदान संख्या- 17 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध (मत्स्य) **वित्तीय वर्ष 2019-20**

**प्रपत्र बी0एम0-9**

**(धनराशि रू0 लाख में)**

| **निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण** | | | | **वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा।** | |
|---|---|---|---|---|---|
| लेखा शीर्षक (15 डिजिट कोड में) | आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/विनियोग | आवेदन प्रपत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत | संक्रमित की जाने वाली धनराशि | वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि | संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान/ विनियोग(2-5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **2405-मछली पालन-800-अन्य व्यय,03- अनुसंधान सामान्य 01- वेतन (240500800030001)** | **5578.38** | **500.00** | **45.00** | **40.00** | **5538.38** |
| **योग-** | **5578.38** | **500.00** | **45.00** | **40.00** | **5538.38** |

निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा।

| लेखा शीर्षक (15 डिजिट कोड में) | वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध अनुदान/विनियोग | वित्तीय वर्ष में प्रत्यावर्तित कुल व्यय | संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9-8) | वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि | संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान/ विनियोग (8+11) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **2405-मछली पालन-800-अन्य व्यय,03-अनुसंधान सामान्य 05- स्थानान्तरण यात्रा व्यय (240500800030005)** | 2.50 | 12.50 | 10.00 | 10.00 | 12.50 |
| **2405-मछली पालन-800-अन्य व्यय,03-अनुसंधान सामान्य 46- कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफटवेयर का क्रय (240500800050046)** | 5.00 | 10.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| **2405-मछली पालन-800-अन्य व्यय,03-अनुसंधान सामान्य 49- चिकित्सा व्यय (240500800050049)** | 22.00 | 52.00 | 30.00 | 30.00 | 52.00 |
| योग- | **29.50** | **74.50** | **45.00** | **40.00** | **69.50** |

http://shasnadesh.up.nic.com

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

1- स्तम्भ-3 मे उपलब्ध बचत का कारण। पदों के रिक्त रहने के कारण ।

2- स्तम्भ-8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अंकित अधिक व्यय निम्नलिखित कारणों से है:-

(क) 05- स्थानानतरण यात्रा भत्ता, 46- कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय 49- चिकित्सा व्यय मानक मदों में प्राविधानित अत्यन्त कम होने के कारण पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि की मांग की जा रही है।

3- प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर सं0 150 व 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है

संख्या- आर0ई0 322 / ई-1-1068--दस-2019 दिनांकः 27 जनवरी,2020

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

हस्ताक्षर.....
नाम व पदनाम-कृपा शंकर यादव (अनु सचिव)
प्रशासकीय विभागः मत्स्य विभाग

हस्ताक्षर.....
नाम व पदनाम- (नीलेश कुमार सिंह)
उप सचिव, वित्त।

संख्या: 5 /2020/ 139 /(1)/सत्रह-म-2020 दिनांकः 03 फरवरी,2020

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1- निदेशक मत्स्य, उ0प्र0 लखनऊ।
2- सम्बंधित कोषाधिकारी लखनऊ।
3- निदेशक वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन लखनऊ।
4- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (तीन प्रतियों में) ।
5- वित्त (व्यय नियत्रंण) अनुभाग-1
6- गार्ड फाइल।

हस्ताक्षर .....
नाम व पदनाम- कृपा शकर यादव (अनु सचिव)
प्रशासकीय विभाग- मत्स्य विभाग ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasnadesh.up.nic.com